अनुदान संख्या 39 – पेंशन
GRANT No. 39 - PENSIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			Total grant or appropriation	Actual expenditure	Excess+ / Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*180,00,00*	*275,00,00*	*212,83,91*	*-62,16,09*
पूरक	*Supplementary*	*95,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	34990,00,00	40895,00,00	41022,61,62	+127,61,62
पूरक	Supplementary	5905,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹6216.09 लाख*) दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए *₹9500.00 लाख* के

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2 In the *charged* portion of the grant, the overall savings (*₹6216.09 lakhs*) constituted 65

पूरक *विनियोग* का 65 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 23 प्रतिशत थीं।

percent of the supplementary *appropriation* of ₹*9500.00 lakhs* obtained in December, 2017 and 23 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईंः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	*O.*	*17981.00*	*27481.00*	*21274.97*	*-6206.03*
पू.	*S.*	*9500.00*			

(I) ₹ *4.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹ *4.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) "सिविल" – पूरक *विनियोग* निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए के अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary *appropriation* obtained under "Civil" - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(का) "छुट्टी नकदीकरण – सामान्य पेंशन" – ₹*1476.00 लाख* के मूल *विनियोग* को ₹*400.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर ₹*1876.00 लाख* कर दिया गया। तथापि, ₹*459.55 लाख* की बचत (स्वीकृत *विनियोग* सहित) हुई :–

(A) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - the original *appropriation* of ₹*1476.00 lakhs* was augmented to ₹*1876.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of ₹*400.00 lakhs*. However, there was a saving of ₹*459.55 lakhs* (including supplementary *appropriation*);

(खा) "निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान" – ₹ *827.00 लाख* के मूल *विनियोग* को ₹*200.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर ₹ *1027.00 लाख* कर दिया गया। तथापि, ₹ *212.71 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) हुई।

(B) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme - Government Contribution" - the original *appropriation* of ₹*827.00 lakhs* was augmented to ₹*1027.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of ₹ *200.00 lakhs.* However, there was a saving of ₹ *212.71lakhs* (including supplementary *appropriation*);

(III) "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक *विनियोग* निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गई निम्नानुसार सीमा तक अप्रयुक्त रहा: –

(III) Supplementary *appropriation* obtained under "Civil" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य – सामान्य पेंशन" – *₹ 1500.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 1500.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹3000.00 लाख* कर दिया गया, जो तथापि, *₹432.56 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - the original *appropriation* of *₹ 1500.00 lakhs* was augmented to *₹3000.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 1500.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹432.56 lakhs*;

(खा) "उपदान – सामान्य पेंशन" – *₹2089.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 1200.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹ 3289.00 लाख* कर दिया गया, जो तथापि, *₹792.19 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions"- the original *appropriation* of *₹ 2089.00 lakhs* was augmented to *₹ 3289.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 1200.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹792.19 lakhs*;

(गा) "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशनरी प्रभार"–

(C) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges" -

(क) "राज्य सरकार (सरकारों) से वसूली योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशनरी प्रभार" – *₹ 8093.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 5900.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹ 13993.00 लाख* कर दिया गया, तथापि जो *₹3054.69 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(a) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)" - the original *appropriation* of *₹ 8093.00 lakhs* was augmented to *₹13993.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 5900.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹3054.69 lakhs*;

(ख) "संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशनरी प्रभार" – *₹486.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 300.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹ 786.00 लाख* कर दिया गया, तथापि, जो *₹ 233.15 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(b) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges of U.T.(s)" - the original *appropriation* of *₹ 486.00 lakhs* was augmented to *₹ 786.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 300.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹233.15 lakhs*;

(IV) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – सामान्य पेंशन" – ₹ *475.95 लाख* की बचत (₹ *2582.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹*424.32 लाख* की बचत (₹*670.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(गा) "भारत के राष्ट्रपति के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – राष्ट्रपति (परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम" के अंतर्गत अन्य पात्रता – ₹ *121.83 लाख* की बचत (₹ *215.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत कम नामावलियाँ/दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

3. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि दिसंबर, 2017 में ₹590500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, ₹12761.62 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹127,61,61,842.00) का व्यय स्वीकृत प्रावधान से अधिक हो गया। **अधिक व्यय का विनियमन संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों पर स्वीकृति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹*475.95 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*2582.00 lakhs*);

(B) "Family Pensions- Family Pensions"- saving of ₹*424.32 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*670.00 lakhs*); and

(C) "Pensions and other retirement benefits of President of India - Other entitlements under the President's (Emoluments and Pension) Act" - saving of ₹ *121.83 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*215.00 lakhs*).

Savings under the above nine heads were due to receipt of less scrolls/claims.

3. In the voted portion of grant, although supplementary grant of ₹590500.00 lakhs was obtained in December, 2017, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹12761.62 lakhs (actual excess was ₹127,61,61,842.00). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	3493851.00			
पू.	S.	590500.00	4085116.00	4098277.47	+13161.47
पु.	R.	765.00			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	5149.00	4384.00	3984.15	-399.85
पु.	R.	-765.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:–

(का) "उपदान – सामान्य पेंशन" – ₹8455.77 लाख का अधिक व्यय (₹150000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹457380.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "छुट्टी नकदीकरण – सामान्य पेंशन" – ₹11575.36 लाख का अधिक व्यय (₹50000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹227620.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) "निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान" – सरकारी अंशदान ₹35546.22 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹317434.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(I) Under Major Head "2071" - "Civil" - excess occurred under the following heads:-

(A) "Gratuities - Ordinary Pensions" - excess of ₹8455.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹457380.00 lakhs including supplementary grant of ₹150000.00 lakhs);

(B) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - excess of ₹11575.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹227620.00 lakhs including supplementary grant of ₹50000.00 lakhs); and

(C) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme - Government Contribution" - excess of ₹35546.22 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹317434.00 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक दावों की प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा नीचे दिए अनुसार प्रतिसंतुलित हो गयाः—

(I) ₹4.10 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2071" — "सिविल — अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते — सामान्य पेंशन" — ₹1881208.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹13500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1894708.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹15412.03 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "2071" — "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः—

(का) "पेंशनों का सरांशीकृत मूल्य" —

(क) "सामान्य पेंशन" — ₹205454.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹335000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹540454.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹2227.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ख) "सामान्य पेंशन (एआईएस)" — ₹3800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5800.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹381.34 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) "परिवार पेंशन — परिवार पेंशन" — ₹556047.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹30000.00 लाख का पूरक अनुदान

Excess under the above three heads was due to receipt of more claims.

4. The above excess was offset by savings as under:-

(I) Provision of ₹4.10 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head "2071" - "Civil - Superanuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - the original provision of ₹1881208.00 lakhs was augmented to ₹1894708.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹13500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹15412.03 lakhs (Including supplementary grant);

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2071" - "Civil" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Commuted Value of Pensions" -

(a) "Ordinary Pensions" - the original provision of ₹205454.00 lakhs was augmented to ₹540454.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹335000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2227.70 lakhs;

(b) "Ordinary Pensions (AIS)" - the original provision of ₹3800.00 lakhs was augmented to ₹5800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹381.34 lakhs;

(B) "Family Pensions - Family Pensions" - the original provision of ₹556047.00 lakhs was augmented to ₹586047.00 lakhs by obtaining

प्राप्त करके बढ़ाकर ₹586047.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹18891.64 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

supplementary grant of ₹30000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹18891.64 lakhs;

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "परिवार पेंशन – सामान्य पेंशन (एआईएस)" – ₹200.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(A) "Family Pensions - Ordinary Pensions (AIS)" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);

(खा) "पेंशन और उपदान को अंशदान – सामान्य पेंशन" – ₹206.53 लाख की बचत (₹318.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Contributions to Pensions and Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of ₹206.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹318.00 lakhs);

(गा) "भविष्य निधि को अंशदान – सामान्य पेंशन" – ₹473.08 लाख की बचत (₹1394.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Contributions to Provident Funds - Ordinary Pensions" - saving of ₹473.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1394.00 lakhs);

(घा) "विधायकों को पेंशन – संसद सदस्य" – ₹3066.18 लाख की बचत (₹8610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(D) "Pensions to Legislators - Members of Parliament" - saving of ₹3066.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8610.00 lakhs);

(ड़) "छुट्टी नकदीकरण – सामान्य पेंशन" (एआईएस) – ₹266.45 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(E) "Leave Encashment - Ordinary Pensions (AIS)" - saving of ₹266.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs);

(चा) "अतिरिक्त घोषित किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण अनुग्रहपूर्वक अदायगी – सामान्य पेंशन" – ₹147.93 लाख की बचत (₹148.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(F) "Ex-Gratia payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as surplus - Ordinary Pensions" - saving of ₹147.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹148.00 lakhs);

(छा) "अन्य पेंशन – बर्मा सिविलियन पेंशनर/परिवार पेंशनरों को अनुग्रहपूर्वक राशि/तदर्थ भत्ता" – ₹158.73 लाख की बचत (₹232.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(G) "Other Pensions - Ex-Gratia/ad-hoc Allowances to Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners" - saving of ₹158.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹232.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सरकारी भविष्य निधि की जमा संबंद्ध बीमा स्कीम – सामान्य भविष्य निधि की जमा संबंद्ध बीमा

(V) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme Government Provident Funds -

संशोधित स्कीम" – ₹1097.30 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" - saving of ₹1097.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत कम नामावलियाँ/दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above twelve heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹259.63 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी।

(VI) Under three heads savings of ₹259.63 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 29 percent to 96 percent of the sanctioned provision.